



5229


2nd with 6

5902

1020000
1020000
1758
16/10/15

Srini
11200

16/10/15



(1)

Jhewal

AKI 309000-000
309000
श्री मनोज कुमार यादव पिता स्व0 ठाकुरी यादव,
जाति-यादव, पेशा-व्यवसाय, निवास स्थान-बिहार कॉलोनी चास, पो0 वो
थाना-चास, जिला-बोकारो (झारखण्ड)। (सी. एन. टी. एक्ट की धारा 46 (1)
(बी) के सूची से बाहर है)। आधार सख्या-5590 8038 1252 वो पेन
नं0-AFIPY9773P

31209-000
श्री दीपक कुमार पिता श्री राजेन्द्र राम, जाति-माहुरी,
पेशा-नौकरी, निवास स्थान-बिहार कॉलोनी चास, पो0 वो थाना-चास,
जिला-बोकारो, (झारखण्ड), राष्ट्रीयता-भारतीय। आधार सख्या-8049 6768
7468 वो पेन नं0-CBNPK6252N

31212-44
लेखप्रकार :- बिक्रय पत्र केवाला (Absolute Sale Deed)

31212-44
मूल्य भोवलग :- 10,30,000 /रु0 (दस लाख तीस हजार रूपया) मात्र।
जमीन का मूल्य 6,80,000 /रु0 एवं संरचना का मूल्य 3,50,000 /रु0 जो 175
वर्गफीट में बना है।

मौजा:- चास के अन्दर रकवा 05 डि0 (पाँच डिसभिल) जमीन मात्र।
जिसका राजस्व कर 10 पैसे अलावे शेष प्रतिवर्ष लगान पानेवाला भू-स्वामी
झारखण्ड सरकार अंचल कार्यालय चास। (C.O. OFFICE CHAS)

जमीन की किस्म:- आवासीय है, पी. सी. डी. रास्ता किनारे।
बिक्रीत सम्पत्ति चास नगर निगम का वार्ड नं0 06 में अवस्थित है।

16/10/15



05AA 339715

13/10

Handwritten signature and date: 16/10/2015

(2)

तफशील :- जिला बोकारो वो जिला अवर निबंधन कार्यालय बोकारो स्थान चास, थाना चास अन्तर्गत 30 नं0 थाना भुक्त मौजा "चास" के अन्दर गत दिनांक 28/12/2006 साल को अत्र चास रजिस्ट्री ऑफिस का रजिस्ट्रीकृत 8173 नं0 दोनो केवाला दरस्तावेज के द्वारा भिखारी पंडित पिता खुशी पंडित के निकट से लेखकारी के निज नाम पर केवाला खरीदा रैयती स्वत्व निजाश खास दखलीकार सम्पत्ति होता है। जिसका खाता नं0 108 (एक सौ आठ) प्लॉट नं0 5290 (पाँच हजार दो सौ नब्बे) नक्शा मुताबिक खरीदा रकवा 05 हिनो (पाँच डिसमिल) जमीन सह सरवना, आज आपके हाथ केवाला बिक्री किया।

जिसका चौहद्दी

उत्तर-प्लॉट नं0 7695	दक्षिण-10 फीट चौड़ा पी. सी. रास्ता
पूरब-विजली सिंह	पश्चिम-10 फीट चौड़ा पी. सी. रास्ता

उक्त दरस्तावेज के साथ नक्शा नथी किया हुआ लाल रंग से रंगा हुआ "A" चिन्ह से चिन्हीत कर दर्शाया गया है। बिक्रीत जमीन का थोका नं0 131, रसीद संख्या JH/22 A097311 सन् 2015-16 तक लगान वसूली है। तफशील प्रकाशित भूमि सरकारी भूमि, वनभूमि तथा अधिग्रहण भूमि से बाहर है।

वैके बिक्रय केवाला दरस्तावेज का विवरण यह है कि उक्त तफशील वर्णित सम्पत्ति लेखकारी के निज नाम पर वो पितामह के नाम पर दखलीकार सम्पत्ति होता है। जो कि वर्तमान समय में लेखकारी के सांसादीक खर्च एवं सुविधाजनक जमीन खरीदने के वास्ते रूपये की सख्त जरूरत पडने पर तफशील प्रकाशित सम्पत्ति बिक्री के सिवा दूसरा अन्य उपाय नहीं रहने के कारण लेखकारी ने अपना निजाश जमीन केवाला बिक्री की बात लेखधारी से किये तब चंद मानिन्द व्यक्तिओं के समक्ष तफशील वर्णित सम्पत्ति का वाजिब बाजार मूल्य 10,30,000/रु0 (दस लाख तीस हजार रूपया) में तय हुआ जो दोनों पक्षों को मान्य है।



05AA 339716

Mans Kumar Yadav
16/10/2015


(3)

तथा लेख्यकारी ने आज दिन तारीख को लेख्यधारी से निम्न गवाहों के समक्ष मूल्य का कुल रूपये नगद भुगतान पाकर मोवाजी रकवा 05 छि0 (पाँच डिसमिल) जमीन मात्र, लेख्यधारी के हाथ केवाला बेचा वो आज दिन तारीख से दखल देकर मालिक बना दिया। अब लेख्यधारी हमारे जैसे सब कुछ न्याय दखल में दखलीकार रहकर उक्त सम्पत्ति का सालाना मालगुजारी 05 पैसे की दर से मालिक जमीनदार झारखण्ड सरकार को प्रतिवर्ष वसूली देकर अपने नाम से लगान रसीद ग्रहण कर उक्त जमीन पर हर प्रकार से दखलीकार रहकर, उक्त निर्मित संरचना का ढांचा परिवर्तन करना तथा शेष जमीन कच्चा पक्का मकान, बाग-बगीचा, कूप, शौचालय आदि निर्माण कर तथा दान-बिक्रय हस्तान्तरण इत्यादि सर्व प्रकार का मालिक बनकर वंशपरम्परा पुत्र-पुत्रादि वारिशगण परमसुख से सुख भोग दखल करते रहे, इसमें लेख्यकारी को या उनके वारिशगण को किसी को किसी प्रकार का दावी-दावा या हक वो अधिकार नहीं रहेगा, करने पर वो कानूनन बिल्कुल नाजायज वो नामजूर समझा जाएगा।

प्रकाश रहे कि उक्त बिक्रीत सम्पत्ति किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार का कच्चा-पक्का बेनामी, ऐग्रीमेन्ट, बैंक मोरगेज किया हुआ नहीं है, अगर भविष्य में किसी प्रकार का दखल या कब्जा करने में त्रुटि या क्षति प्रमाण हो, तो सारा क्षति पूर्ति का देनदार स्वयं लेख्यकार होंगे, या उनके वारिशगण होंगे।

अतः मूल्य का कुल 10,30,000/रु0 (दस लाख तीस हजार रूपया) नगद भुगतान पाकर हम लेख्यकारीगण अपने दिमाग कि स्वच्छंदता वो होस हवास में यह केवाला दस्तावेज पर सही सम्पादन किया जो कि समय पर काम आवें इति अंग्रेजी सन् 2015 दिनांक- 15/10/2015

लेख्यकारीगण एवं लेख्यधारी के कथनानुसार यह केवाला दस्तावेज लिखा वो दोनों पक्षों को गवाहों के समक्ष पढ़कर सुनाया वो समझा दिया।



05AA 339717

(4)

घोषणा पत्र

विक्रेता एवं क्रेता यह घोषणा करता हूँ कि दस्तावेज में वर्णित सभी तथ्य विलकुल सही है, तथा जो भी दस्तावेज के साथ कानूनी कानून का छायाप्रति संलग्न है विलकुल सही है, यदि किसी प्रकार गलत साबित होता है तो हम पक्षगण दण्ड के भागी होंगे।

प्रारूपकर्ता:— श्री महावीर महतो (मो वास) प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छाया चित्र दस्तावेज में लगा है उनके बाये हाथ का उंगलीयों का निशान भेरे सामने लिए गये है।

लेख्यधारी का हस्ताक्षर

गवाहगण



NOTED BY
Deed Writer

16/10/2015



राजेश कुमार
Rajendra Kumar
Son of Thakur Yadav
Bihar Colony Road
16/10/2015
Ramanuj Prasad Singh
S/o Sri Ram Naresk Singh
Bihar Colony Road
16/10/2015

Mahakumyadar
16/10/2015